

सं०सं०-म०नि० IV/लेखा/362/2025-26/..... 10 (आठ)

मत्स्य निदेशालय
झारखण्ड, राँची

प्रेषक,

एच० एन० द्विवेदी,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बोकारो।

मत्स्य/राँची/दिनांक..... 09.10.2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत कुल मो० 2,59,000.00 (दो लाख उन्सठ हजार) रूपये मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के स्वीकृत्यादेश सं० 22 रा०(वि०) दिनांक 06.10.2025 एवं आवंटन आदेश सं० 42 आ० (वि०) दिनांक 09.10.2025 तथा ऑनलाईन आवंटन सं० 2863 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मॉग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के स्वीकृत्यादेश सं० 22 रा०(वि०) दिनांक 06.10.2025 एवं आवंटन आदेश सं० 42 आ० (वि०) दिनांक 09.10.2025 तथा ऑनलाईन आवंटन सं० 2863 के आलोक में मो० 2,59,000.00 (दो लाख उन्सठ हजार) रूपये मात्र निधि का आवंटन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मॉग सं०-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत आवंटन :


क्र०	स्थापना का नाम	विस्तृत शीर्ष- 06-अनुदान-51-मुआवजा विपत्र कोड- 53S24050000101000651
1	जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बोकारो	259000
कुल योग :		259000

कुल आवंटन मो० दो लाख उन्सठ हजार रू मात्र।

2. इस आवंटन के विरुद्ध वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि०, दिनांक 15/07/03 में निहित प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।
3. (क) वित्त विभाग के पत्रांक 624/बजट/दिनांक 02.09.2025 के आलोक में प्रथम अनुपूरक अन्तर्गत उपबंध की व्यय की स्वीकृति प्राप्त है।
(ख) झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का अनुपालन सख्ती से किया जाय।
4. आर्बटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक अगले माह के 15 तारीख तक टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ टेजरी एम०आई०एस० से अवश्य मिलान (रिकान्सीलेशन) करा लिया जाए।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित हो, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष 2025-26 के प्रत्येक महिने का नियमित लेखा मिलान कर त्रुटि निराकरण करना सम्बन्धित DDO का दायित्व होगा।
6. असमायोजित अग्रिम, एल०पी०सी०/कार्यालय से हो तो उसका ससमय स्थापित प्रक्रिया के तहत नियमित समायोजन होना चाहिए।
7. आर्बटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 475 में किये गये निदेश के आलोक में किया जाय। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय।
8. माननीय न्यायालय द्वारा M.A. No. 19 of 2016 जिला मत्स्य पदाधिकारी, बोकारो बनाम् सुबल कुमार झा एवं अन्य में पारित आदेश के तहत स्थापना व्यय अन्तर्गत मुआवजा मद में प्रथम अनुपूरक आगणन से स्वीकृत बजट उपबंध अन्तर्गत यह राशि आर्बटित है।
9. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 22 रा०(वि०) दिनांक 06.10.2025 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखना। अंकेक्षण के दौरान प्राप्त अंकेक्षण आपत्तियों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे Drop कराया जाए, साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में इस मद के व्यय में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु०-ऑनलाईन आवंटन

विश्वासभाजन


(एच० एन० द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.

सं०सं०-म०नि० IV/लेखा/342/2024-25/ 10 (310) /मत्स्य/राँची/दिनांक 09.10.2025

प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपायुक्त/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, (बजट) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) झारखण्ड, राँची/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/संयुक्त मत्स्य निदेशक, स्थापना एवं लेखा प्रशासन, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार


Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Division)

वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - IV/362/25-26/3r/10

दिनांक - 09-Oct-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 53 24050000101000651 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	65335	BKRFSH001 NEELAM SAROJ EKKA DIST.FISHRY OFFICE BKR 51 - मभावजा	259,000.00 रुपये दो लाख उनसठ हजार



योग: रुपये दो लाख उनसठ हजार

259,000.00

(H. N. DWIVEDI)
DIRECTOR FISHERIES

वर्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 001 - निदेशन तथा प्रशासन & 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53S24050000101000651	Total
1					मुआवजा	
1	Bokaro	BKRFSH001	Neelam Saroj Ekka	Dist.Fishry Officer Bkr	₹2,59,000.00 (65335)	₹2,59,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹2,59,000.00 (nks yk[k mulB gtkj) रूपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

10 (BAP)
09.10.2025

09/10/25
(H. N. DWIVEDI)
DIRECTOR FISHERIES